

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला—रायपुर

क्र. ६५३/५५७/वित्त/नियम/चार/2020, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक २३.१२.२०२० प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:—पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाए जाने के संबंध में।

संदर्भ:—वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक ५९५/५१८/वित्त/नियम/चार/2020, दिनांक ८.१२.२०२० (वित्त निर्देश २७/२०२०)

—०—

‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान योजना’ के बिन्दु क्रमांक १८ में यह व्यवस्था है कि पेंशन भोगियों के लिये वर्ष में एक बार नवम्बर महीने में परिशिष्ट चार (एक) में विहित फार्म में एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

२. संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से राज्य शासन द्वारा पेंशन/परिवार पेंशनर के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अंतर्गत वर्तमान में Covid -19 सर्वव्यापी महामारी के कारण, पेंशनरों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बढ़ायी गई समय सीमा ३१ दिसम्बर, २०२० के स्थान पर समय—सीमा २८ फरवरी, २०२१ निर्धारित की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Akash, 23/12/2020
(डॉ. ए.के. सिंह)
संयुक्त सचिव

पृष्ठ 654/557 / वित्त/नियम/चार/2020, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 3/12/2020
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 9. अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिसेवा मार्ग, बिलासपुर
 14. समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
 21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
 22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु
24. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नरमेण्ड एण्ड बैंक एकाउण्ट्स डिपार्टमेण्ड्स, सी-7 बान्द्रा-कुरुक्षेत्र, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुम्बई- 400051
25. समन्वय राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति रायपुर
26. सहायक मुख्य महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक/क्षेत्रिय प्रबन्धक/क्षेत्रिय मैनेजर/वाईस प्रेसिडेन्ट/सम्बन्धित पेशन संवितरण बैंक
27. वित्त सचिव, समस्त राज्य
28. महालेखाकार/वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रधान महालेखाकार/प्रमुख महालेखाकार (लेखा/हक.) समस्त राज्य
_____ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित


(अरविंद कुमार)
अवर सचिव